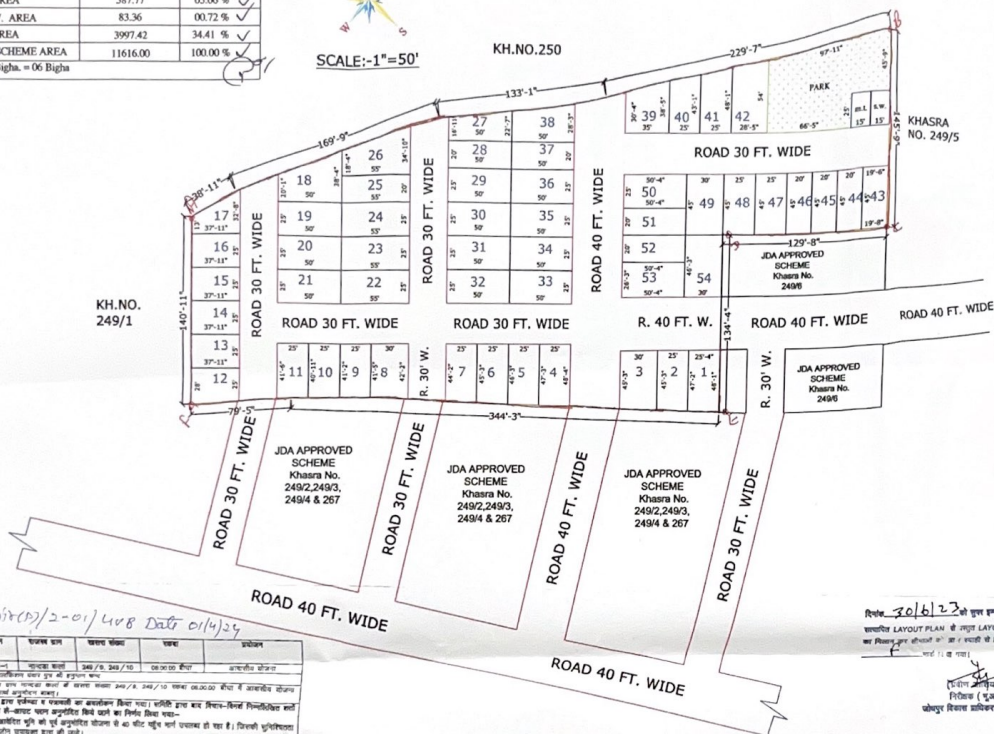


LAND USES ANALYSIS

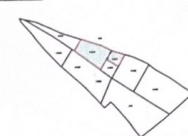
PLOTS	AREA in Sq.yd.	AREA OF %
TOTAL PLOT AREA	6947.45	59.81 % ✓
PARK AREA	587.77	05.06 % ✓
M.T.S.W. AREA	83.36	00.72 % ✓
ROAD AREA	3997.42	34.41 % ✓
TOTAL SCHEME AREA	11616.00	100.00 % ✓
Area in Bigha = 06 Bigha		



KEY PLAN



KHASRA MAP
NOT TO SCALE



JDA/Dir(A)/2-01/408 Date 01/4/20

पृष्ठ संख्या 10	दिनांक	पत्रिका का नाम	पत्रिका का पता	प्रकाशक
06.08.2023	06/08/23	संस्कृत	146/10, 243/10	संस्कृत प्रेस
अवकाश	की संविधान का एक ही अनुक्रम है। 1. संविधान का एक ही अनुक्रम है।			
प्रश्न:	1. संविधान का एक ही अनुक्रम है। 2. संविधान का एक ही अनुक्रम है। 3. संविधान का एक ही अनुक्रम है। 4. संविधान का एक ही अनुक्रम है। 5. संविधान का एक ही अनुक्रम है। 6. संविधान का एक ही अनुक्रम है। 7. संविधान का एक ही अनुक्रम है। 8. संविधान का एक ही अनुक्रम है। 9. संविधान का एक ही अनुक्रम है। 10. संविधान का एक ही अनुक्रम है।			

दिनांक 30/6/23 को सुन हमने/सहित
सापेक्ष LAYOUT PLAN से सतुत LAYOUT PLAN
का विवरण और सीमाओं को आर. सहायी से बिन्दु A से
F परा. 1. ज. गया।

4
(प्रवीण शास्त्री)
निरीक्षक (ग्रुप)
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

Kucharski Survey & Planning Services
85 Lovers Vile, Madison Young Road, Jaffa
Reg No. C.T.P. 24/ANG-2/MTN/201/2000 G.T.

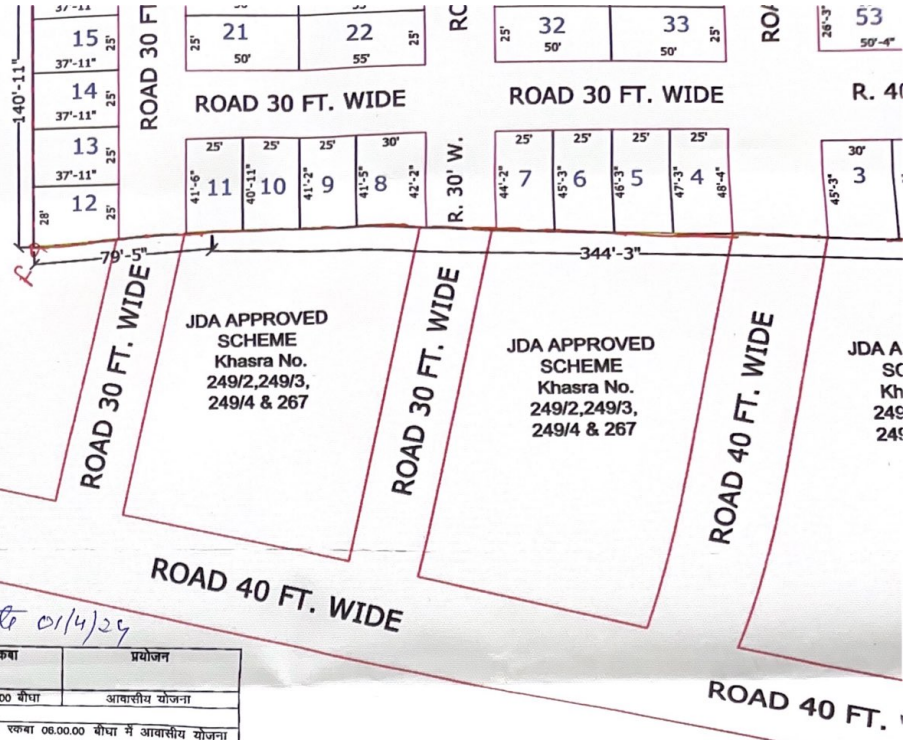
सहायक नगर नियोजक
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

11/11/22
इस मजदूर नियोजक
शोधपुर विकास प्राधिकरण
शोधपुर

निदेशक कार्यक्रम
कोषपुर विद्या प्रशिक्षण

44
व्यापक (जीन-1)
मोघपुर विकास प्राधिकरण
मोघपुर

KH.NO.
249/1



JDA/DIR(A)/2-01/408 Date 01/4/25

ईडक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
06.10.2023	जोन-1	नान्दका कला	249/9, 249/10	06.00.00 बीघा	आवासीय योजना
आवेदक	श्री आरुणिका प्रसाद पुत्र श्री हनुमान चन्द प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत				
निर्णय	समिति द्वारा एजेन्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित बातों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया-				
निर्णय	1. आवेदित भूमि को पूर्व अनुमोदित योजना से 40 फीट पहुँच मार्ग उपलब्ध हो रहा है। जिसकी सुनिश्चितता जोन उपायुक्त द्वारा की जाये। 2. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने हैं जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जायेगा। 3. रैरा अधिनियम 2017 के तहत राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेशन ऑथोरिटी (रैरा) द्वारा दिनांक 14.03.2023 एवं इस संघ में समय समय पर जारी आदेशों अनुसार निजी खातेधारी, निजी विकासकर्ता की उक्त प्लॉटेड योजना (Plotted Development Project) में पट्टे जारी करने से पहले योजना का रैरा में रजिस्ट्रेशन करवाया जाना अनिवार्य है एवं उक्त की सुनिश्चितता जोन उपायुक्त द्वारा की जाये। 4. टाउनशिप पॉलिसी 2010 के प्राधान्यों एवं नियोजन को दृष्टिगत रखते हुए समिति के अन्य सुझावों का समावेश करते हुए ले-आउट प्लान जारी किया जाये। 5. टाउनशिप पॉलिसी-2010 के सनत्त प्राधान्यों की पालना आवेदक स्तर पर सुनिश्चित की जाये। 6. योजना का क्षेत्रफल 2 है० से कम है, अतः भविष्य में योजना की आवश्यकता अनुसार योजना में पार्क की भूमि पर Overhead Water Tank का निर्माण विशेष परिस्थिति में जोन उपायुक्त व निदेशक अभियांत्रिकी की स्वीकृति उपरान्त किया जा सकेगा। 7. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्राधान्यनुसार नियमानुसार राशि ज़ोन स्तर पर ली जाये। 8. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, याद अयाधि एवं मालिकाना हक की समस्त ज़िम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस याद अयाधि-पत्र लिया जाये कि प्रसंगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जाये। 9. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रस्तावित गवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। 10. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिरचना अनुसार नियमानुसार मोबाईल टॉवर एवं ठोस कचरा संग्रहण स्थल का प्रावधान किया जाये।				

सहायक नगर नियोजक
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

हव नगर नियोजक
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

निदेशक आयोजना
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

4/4
उपायुक्त (जोन-1)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

ROAD 30 FT. WIDE

JDA APPROVED
SCHEME
Khasra No.
249/2, 249/3,
249/4 & 267

ROAD 30 FT. WIDE

ROAD 40 FT. WIDE

JDA/DIA/2-01/408 Date 01/4/24

एजेण्डा संख्या 19 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
08.10.2023	जोन-1	नान्दडा कला	249/9, 249/10	06.00.00 बीघा	आवासीय योजना
आवेदक	श्री बालकिशन पवार पुत्र श्री हनुमान चन्द				
विषय-	राजस्व ग्राम नान्दडा कला के खसरा संख्या 249/9, 249/10 रकबा 06.00.00 बीघा में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।				
निर्णय-	समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित बातों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया- 1. आवेदित भूमि को पूर्व अनुमोदित योजना से 40 फीट पहुँच मार्ग उपलब्ध हो रहा है। जिसकी सुनिश्चितता जोन उपायुक्त द्वारा की जावे। 2. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने हैं जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा। 3. रेरा अधिनियम 2017 के तहत राजस्थान रियल एस्टेट रेग्युलेटरी ऑथोरिटी (रेरा) द्वारा दिनांक 14.03.2023 एवं इस संबंध में समय समय पर जारी आदेशों अनुसार निजी खातेदारी, निजी विकासकर्ता की उक्त प्लॉटेड योजना (Plotted Development Project) में पट्टे जारी करने से पहले योजना का रेरा में रजिस्ट्रेशन करवाया जाना अनिवार्य है एवं उक्त की सुनिश्चितता जोन उपायुक्त द्वारा की जावे। 4. टाउनशिप पॉलिसी 2010 के प्रावधानों एवं नियोजन को दृष्टिगत रखते हुए समिति के अन्य सुझावों का समावेश करते हुए ले-आउट प्लान जारी किया जावे। 5. टाउनशिप पॉलिसी-2010 के समस्त प्रावधानों की पालना आवेदक स्तर पर सुनिश्चित की जावे। 6. योजना का क्षेत्रफल 2 है० से कम है, अतः भविष्य में योजना की आवश्यकता अनुसार योजना में पार्क की भूमि पर Overhead Water Tank का निर्माण विशेष परिस्थिति में जोन उपायुक्त व निदेशक अभियांत्रिकी की स्वीकृति उपरान्त किया जा सकेगा। 7. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानों अनुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावे। 8. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रशंगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे। 9. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रयत्नित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। 10. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिरूखना अनुसार नियमानुसार मोबाईल टॉवर एवं ठोस कचरा संग्रहण स्थल का प्रावधान किया जावे।				

सहायक नगर नियोजक
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

13/12/23
उप नगर नियोजक
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

निदेशक आयोजना
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर